कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा आधारित नियोजन के निमित्त

ग्रामीण आवास सहायक पद हेतु चयन पत्र

पत्रांक– 158 /जि0ग्रा0वि0, दिनांक–

प्रेषित,

क्र0	आवेदन संख्या	अभ्यर्थि का नाम	पिता का नाम	पदस्थापन	
				प्रखंड	पंचायत
1	2	3	4	5	6
1	GAS/0336922	कुन्दन कुमार	गया प्रसाद	कुटुम्बा	पिपरा बगाही
2	GAS/0313916	विकेश कुमार सिंह	सुदर्शन सिंह	कुटुम्बा	सुही
3	GAS/0226420	शेखर त्रिपाठी	सिताराम तिवारी	कुटुम्बा	अम्बा

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प पत्रांक– 165209, दिनांक– 03.10.2013 तथा पत्रांक– 139978, दिनांक– 23.10.2013 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में आपका **ग्रामीण आवास सहायक** के पद पर नियुक्ति तथा पदस्थापन निम्नांकित शर्तों के साथ किया जाता है :–

1. चयन ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं तथा प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के बाद किया गया है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाएँ असत्य है अथवा आपके द्वारा किसी तथ्य को छुपाया गया है तो नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
2. यदि पाया जाता है कि जिन शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के आधार पर आपने अपने नियोजन का दावा प्रस्तुत किया था, वे किसी ऐसे शैक्षणिक सस्थान /विश्वविद्यालय /बोर्ड) द्वारा निर्गत है, जिन्हें सक्षम प्राधिकार के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, तो नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।
3. यह नियोजन पूर्णतया संविदा आधारित है। नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार होंगे।
4. नियोजित व्यक्ति के द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।
5. संविदा पर चयन इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा और कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नवीकृत की जा सकेगी।
6. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर आपको सेवामुक्त किया जा सकेगा।
7. संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि आपका पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को आपका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

8. इन्दिरा आवास योजना, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा, जबतक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से पारिश्रमिक भुगतान हेतु निधि प्राप्त होती रहेगी।

9. यदि उपर्युक्त शर्तें आपको मान्य हो तो जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एक माह के अंदर संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में जमा करें।

10. नियुक्ति पत्र निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर पदस्थापित प्रखंड में योगदान देना सुनिश्चित नहीं करते हैं तब वैसी परिस्थिति में आपकी अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह०/-

उप विकास आयुक्त,

औरंगाबाद।

ज्ञापांक–1533 /जि0ग्रा0वि0, दिनांक–18-11-2014

प्रतिलिपिः प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अंकित नव पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक का योगदान स्वीकार करने के उपरांत निर्धारित शुल्क के स्टाँप पेपर पर अनुबंध करते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15.11.14

उप विकास आयुक्त,

औरंगाबाद।